न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 144/17 निर्णय दिनांकः–31-01-2025
(जीसीएमएस संख्या 2017/00367)

1. भादरराम पुत्र श्री मोटाराम जाति जाट निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

अपीलांट

–बनाम–

1. गांधीराम पुत्र श्री सुखाराम जाति जाट निवासी चक 10–500 डीओडीडी तहसील पूगल जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 05–01–2016
उपखण्ड अधिकारी, पूगल

उपस्थितिः–
1. श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री मिलापचन्द धत्तरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट्स ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, पूगल के निर्णय दिनांक 05–01–2016 जिसके द्वारा अपीलांट की आवेदित भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित की गई है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने विशेष आवंटन हेतु पूगल तहसील के चक 10–500 डीओडीडी के मुरब्बा नम्बर 99/37 की 25 बीघा भूमि के आवंटन के लिए आवेदन किया था जिसमें दोनों के आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज होने पर दोनों के द्वारा अपील न्यायालय हाजा में किये जाने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की अपील रिमाण्ड कर दी गई और अपीलांट की अपील दिनांक14–06–2016 को खारिज की गई और जिसके विरूद्ध निगरानी माननीय मण्डल के समक्ष जैरकार है। अपीलांट पेशे से गरीब काश्तकार है तथा अपनी खारिज भूमि के विरूद्ध अगर अपीलांट को अन्य भूमि आवंटित कर दी जाती है तो अपीलाधीन आदेश से अपीलांट किसी प्रकार से व्यथित नहीं है। वादगत भूमि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित की जा चुकी है तथा अपीलांट अनावश्यक मुकदमेबाजी में नहीं पडना चाहता है। अपीलांट् एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है।

राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे। चूंकि अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व से ही आवंटनशुदा भूमि है इसलिए विशेष आवंटन नियमों के तहत अपीलांट् अन्य भूमि पाने का पात्र है। अदालत मातहत को अपीलांट के आवंटन को निरस्त करते हुए अन्य भूमि आवंटित की जानी चाहिए थी लेकिन अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन न तो निरस्त किया न ही उसकी एवज में अन्यत्र भूमि के आदेश पारित नहीं किये है। जबकि अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुए आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट् को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियाद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने पत्रावली पर बहस पर करते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया आवंटन विधिसम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के आवेदन पत्र को खारिज किये जाने के फलस्वरूप खारिजी आदेश की अपील न्यायालय हाजा में की गई जिसमें न्यायालय हाजा ने खारिजी आदेश निरस्त करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की अपील को रिमाण्ड किया गया था। उक्त रिमाण्ड आदेश की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटन किया गया है। वादगत भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया जा चुका है एवं यदि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार अन्य भूमि आवंटित की जाती है तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कोई आपत्ति नहीं है।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 05–01–2016 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 27–04–2017 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अपीलांट एक ग्रामीण पृष्ठभूमि का काश्तकार व्यक्ति है। जिससे अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह न्यायालय के दिन–प्रतिदिन की कार्यवाही की जानकारी रखे। चूंकि अपीलाधीन आदेश अपीलांट की पीठ पीछे एकतरफा तौर पर पारित किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट द्वारा विशेष आवंटन के तौर पर वादगत भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर सलाहकार समिति की राय से आवेदन पत्र खारिज किया गया था। जिसकी अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश किये जाने पर न्यायालय हाजा द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की अपील रिमाण्ड की गई एवं अपीलांट की अपील खारिज की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की रिमाण्ड पत्रावली पर अधीनस्थ न्यायालय ने वादगत भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कर दिया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। चूंकि अपीलांट ने वादगत भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित किये जाने से वादगत भूमि अपीलांट को प्राप्त नहीं हो सकती है एवं अपीलांट अनावश्यक रूप से मुकदमेबाजी में नहीं पडना चाहता है एवं अपीलांट अपनी पात्रता अनुसार समान श्रेणी की अन्य भूमि आंवटित करवाना चाहता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलांट को समान श्रेणी की अन्य भूमि आवंटन करने में सहमति प्रदान की है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

7. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 05–01–2016 यथावत बहाल रखते हुए प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट् की आज दिनांक की पात्रता की जॉच करते हुए अपीलांट के आवेदन पर पुनः नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 31-01-2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर